जिला हाथकरघा कार्यालय बुरहानपुर (म.प्र.)

स्वर्ण जयंती वर्ष
2005–2006

सूचना का अधिकार अधिनियम
वर्ष 2005

बिन्दुवार जानकारी

६ ६ ६ ६

६ ६ जिला हाथकरघा कार्यालय बुरहानपुर ६ ६
सिटी कोतवाली के सामने
जिला बुरहानपुर 450–331 (म.प्र.)

बिन्दु क्र.1 (क) कार्यालय का संरचात्मक ढांचा :–

आयुक्त हाथकरघा

हाथकरघा संचालनलाय म.प्र. भोपाल

द

संयुक्त संचालक सह संयुक्त पंजीयक हाथकरघा

हाथकरघा संचालनलाय म.प्र. भोपाल

द

जिला हाथकरघा कार्यालय बुरहानपुर

उप संचालक हाथकरघा

द

कार्यकारी स्टॉफ

वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक /सहायक निरीक्षक

द

सहायक स्टॉफ

लेखापाल/सहा. ग्रेड 2 /सहायक ग्रेड 3

बिन्दु क्र.1 (ख) कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कृत्यो, कर्त्तव्यों दायित्वों का विवरण :–

क्रमांक	कक्ष	कार्य संपादन
1.	स्थापना	अवकाश, सेवानिवृत्त, पेंशन, वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिकाओं का संधारण इत्यादि ।
2.	लेखा	आहरण एवं संवितरण, जी.पी.एफ. यात्रा देयक, चिकित्सा देयक, आदि का कार्य ।
3.	सामान्य	कार्यालयीन आवश्यकताओं हेतु सामग्री का क्रय उपलब्ध स्कंध का संधारण आदि कार्य ।
4.	तकनीकी	हाथकरघा बुनकरों को तकनीकी मार्गदर्शन देना एवं हाथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत पॉवरलूमों का निरीक्षण करना ।
5.	समन्वय	लोक सभा, विधान सभा संबंधी कार्यो का निर्वहन, विभागीय / अंर्तविभागीय बैठकों की जानकारियों का संकलन, अनुश्रवण इत्यादि ।
6.	बुनकर एवं क्लस्टर	केन्द्र क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित, राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी इत्यादि ।
7.	योजना	पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, जिला स्तरीय योजना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण एवं समंको का संग्रहण व संकलन इत्यादि ।
8.	बजट	बजट आंवटन प्रस्ताव, अनपुरक बजट प्रस्ताव, पुर्नविनियोजिन प्रस्ताव, समपर्ण प्रस्ताव, नवीन व्यय प्रस्ताव, वार्षिक योजना अनुसार बजट सीमा वृद्धि प्रस्ताव, इत्यादि।
9.	साख्यिकीय	वार्षिक, मासिक एवं पंचवर्षीय सांख्यिकीय समंको का संकलन एवं संधारण इत्यादि ।
10.	विधि	बुनकर, औद्योगिक समितियों के पंजीयन प्रस्ताव चेकलिस्ट अनुसार बनाना एवं पंजीयन कराना । म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 का समितियों में प्रवर्तन कराना ।

बिन्दु क्र. 2 कार्यालय में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों का नाम,पद एवं आंवटीत कार्य :–

क्रमांक	नाम	पद	वेतन (मासिक)	कर्त्तव्य
1.	श्री बी.एल. बामनिया	उप संचालक हाथकरघा	21,168 / –	कार्यालय पर वित्तीय एवं प्रशासकीय नियंत्रण ।
2.	श्री के.के. नागराज	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	10,812 / –	बुनकर, योजना, हाथकरघा आरक्षण अधि. 1985 का प्रर्वतक
3.	श्री आर.के. गंगराड़े	वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा	10,335 / –	वसूली एवं समन्वय इत्यादि
4.	श्री विनायकसिंह मार्को	वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा	8,427 / –	स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, नॉबार्ड इत्यादि ।
5.	श्री डी.सी. सोलंकी	निरीक्षक हाथकरघा	8,586 / –	खादी ग्रामद्योग बोर्ड संबंधित कार्य ।
6.	श्री जी.डी. बोकडे	सहायक निरीक्षक हाथकरघा	7,950 / –	समूह बीमा, सांख्यिकीय एवं विधि कक्ष।
7.	श्री आर.के मावले	लेखापाल	9,262 / –	स्थापना एवं लेखाकार्य
8.	श्रीमति मुमताज बेंगम	सहायक ग्रेड–2	7,443 / –	सामान्य कक्ष एवं आवक–जावक ।
9.	श्री राजेश मोर्य	सहायक ग्रेड–2	6,560 / –	वरिष्ठ अधिकारी एवं मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यो को करना ।
10.	श्री आर.एस. ठाकुर	सहायक ग्रेड–3	4,875 / –	––तदैव––
11.	श्री नटवरलाल तायडे	भृत्य	5,118 / –	––तदैव––
12.	श्री रमेश पवार	चौकीदार	5,023 / –	––तदैव––

बिन्दु क्र.3 यू./एस. 4.1 (बी) ;ण्ड्ड अंतर्गत पदानुक्रम के आधार पर निर्णय व्यवस्था :–

सहायक
प्राप्त पत्र का प्रस्तुतीकरण 24 घण्टे के अंदर एवं अति आवश्यक पत्र (1 घण्टे में)

ε

कक्ष प्रभारी
प्राप्त पत्र का परीक्षण एवं प्रस्तुतीकरण अति आवश्यक प्रकरणों में प्रस्तुतीकरण (2घण्टे में)

ε

उप संचालक हाथकरघा के समक्ष प्रस्तुतीकरण

ε

संयुक्त संचालक हाथकरघा संचालनालय, भोपाल
प्रकरण पर अंतिम निर्णय हेतु आयुक्त के समक्ष प्रस्तुतीकरण

ε

आयुक्त
हाथकरघा संचालनालय, भोपाल
प्रकरण पर अंतिम निर्णय एवं आदेश

आर्थिक प्रस्ताव के मामले मे

वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक

ε

उप संचालक (हाथकरघा)

ε

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

ε

कलेक्टर (राशि रू. 2 लाख तक)

ε

आयुक्त हाथकरघा एवं आयुक्त (राशि रू. 2 लाख से ऊपर)

बिन्दु क्र. 4.

अ. समय मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित है यू/एस. 4.1(बी) (पअ)

ब. गुणवत्ता मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित हैं ।

स. मात्रा लक्ष्य वर्ष में कार्यालीयन कार्य संपादन हेतु ।

	सामान्य	अतिआवश्यक
सहायक	24 घण्टे	1 घण्टा
कक्ष प्रभारी	2 दिन	2 घण्टा
उप संचालक/ सहायक संचालक/ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	7 दिन	7 घण्टा
संयुक्त संचालक	4 दिन	1 दिन
आयुक्त	4 दिन	1 दिन

बिन्दु क्र. 5 :— कार्यालय के संचालन से संबंधित नियम, अधिनियम, मेन्युअल, परिपत्र

आदि की सूची यू. / एस. / 4.1 (बी.) (ट)

अधिनियम :— ....निरंक........

नियम :— हाथकरघा क्षेत्र में सचांलित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैं :—

1— राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना :—

राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना वर्ष 1991 से प्रदेश में संचालित हैं । इस योजना के प्रमुख अंग हाथकरघा
प्रशिक्षण, उन्नत उपकरण प्रदाय, अंशपूंजी ऋण, धनवेष्ठन, मार्जिन मनी, सामान्य सुविधा केन्द्र, कार्यालय सह गोदाम, अंशपूंजी अनुदान तथा लघु हाथकरघा इकाई की स्थापना हेतु बुनकरों को राशि उपलब्ध कराते हुए उद्योगों को ब़ावा देना हैं । प्रोजेक्ट पैकेज योजना के विभिन्न अंगो के अन्तर्गत जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार है :—

(1) प्रशिक्षण :— प्रति हितग्राही को रूपये 250 / — प्रतिमाह के मान से 6 माह प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं रूपये 90 / — प्रति हितग्राही के मान से 6 माह के लिये राशि कचचे माल के प्रदाय हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं । सूत एवं खराब कपड़े की प्रतिपूर्ति हेतु रू. 200 / — प्रति हितग्राही राशि उपलब्ध कराई जाती हैं तथा करघे अनुदान अन्तर्गत 1000 / — रूपये के मान से अधिकतम 10 करघें स्थापित करने हेतु रूप्ये 10,000 / — अधिकतम राशि उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(2) उन्नत उपकरण :— बुनकरों को करघें स्थापित करने हेतु करघें तथा सहायक उपकरण प्रदाय करने का प्रावधान हैं । करघें हेतु रूपये 8,000 / — तक की सहायता दी जाती हैं जिसमें 50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं ।

(3) धनवेष्ठन :— बुनकर सहकारी समितियों की जमा अंशपूंजी के तीन गुने तक ब्याज रहित ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जाती हैं ।

(4) मार्जिन मनी :— समिति मे जमा अंशपूंजी के 15 गुने, अधिकतम राशि रूपये 50,000 तक ब्याज रहित ऋण के ड्ड में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की समितियों को उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(5) अंश पूंजी ऋण :— रूपये 10/—'के मान से 4 अंश हेतु राशि रूपये 40/— जमा करने पर 90/— के मान से अधिकतम 4 अंश पर रूपये 360/— तक प्रत्येंक सदस्य को ब्याज रहित ऋण समिति को उपलब्ध कराया जाता हैं ।

(6) अंश पूंजी अनुदान :— प्रति सदस्य रूपये 10/— जमा करने पर रूपये 0./— प्रति सदस्य के मान से एक अंश क्रश करने हेतु अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग के सदसयों की समितियों को उपलब्ध कराया जाता हैं ।

(7) सामान्य सुवधिा केन्द्र :— स्वयं के मालिकाना हक की भूति होने पर समिति को रूपये 60,000/— तक सहायता सामान्य सुवधिा केन्द्र स्थापित करने हेतु दी जाती हैं । जिसमें रूपये 15,000/— अनुदान, रूपये 10,000/— धनवेष्ठन तथा रूपये 35,000/— ऋण के रूप में प्रदान की जाती हैं ।

(8) कार्यालय सह गोदाम :— स्वयं के मालिकाना हक की भूमि होने पर कार्यालय सह गोदाम स्थापित करने के लिए अधिकतम रूपये 1.00 लाख तक की सहायता समितियों को उपलब्ध करायी जाती हैं । 75 प्रतिशत राशि ऋण के यप में तथा 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं ।

(9) लघु हाथकरघा इकाई :—

अ. लघ हाथकरघा इकाई पंजीबद्ध करने के लिए इकाई में कम से कम 5 करघे होना आवश्यक हैं । अधिकतम 20 करघे स्थापित करने के लिए रूपये 1500/— करघे के मान से लूम शेड अनुदान प्रदान किया जाता हैं । शेष राशि स्वंय इकाई द्वारा लगाई जायेगी ।

ब. पंजीबद्ध लघु हाथकरघा इकाई को रूपये 1500/— प्रति करघे के मान से अधिकतम 20 करघों हेतु रूपये 30,000/— तक की मार्जिन मनी ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हैं ।

स. राष्ट्रीकृत बैंक के ऋण पर सामान्य वर्ग के इकाई को 3 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग की इकाई 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैं ।राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना जिला पंचायतों को वर्ष 2000 से स्थानांतरित की जा चुकी हैं ।

2— बाजार अध्ययन :— यह योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गयी हैं । बुनकरों को बाजार मांग के अनुरूप उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु उन्हें अध्ययन भ्रमण, वस्त्र विक्रय हेतु मेंलो तथा प्रदर्शनियों के आयोजन करने के लिए राज्य स्तरीय स्टेरिंग कमेटी द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुरूप निगम, संघ एवं समितियों को सहायता स्वीकृत की जाती हैं । इस योजना का संचालन संचालनालय स्तर से किया जा रहा हैं ।

3— अनुसंधान एवं विकास :— यह योजना भी वर्ष 1998—99 में प्रारंभ की गयी हैं । हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यो के लिए राज्य स्तरीय स्टेरिंग कमेटी द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुरूप निगम, संघ एवं समितियों को सहायता स्वीकृत की जाती हैं । यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती हैं ।

4— व्यक्तिगत हाथकरघा बुनकरों हेतु सहायता :— यह योजना वर्ष 2001—02 में प्रारंभ की गयी हैं । निजी क्षेत्र में कार्यरत ऐसे बुनकर जो किसी समिति के सदस्य नही हैं उन्हें कार्यशील पूंजी, वर्कशेड एवं करघें क्रय करने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती हैं । ऋण राशि वित्तिय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत योजनान्तर्गत करघें एवं उपकरण क्रय हेतु रूपये 40,000/— तक अनुदान कार्यशील पूंजी हेतु रूपये 20,000/— तथा वर्कशेड निर्माण हेतु रूपये 7,000/— तक की सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान हैं ।

5— कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना :— उत्कृष्ठ हाथ करघा वस्त उत्पादन करने वाले तीन बुनकरों को समिति की अनुशंसा निर्णय अनुरूप प्रथम पुरूस्कार रूपये 1,00,000/—, द्वितीय पुरूस्कार रूपये 50,000/— एवं तृतीय पुरूस्कार रूपये 25,000/— दिये जाते हैं।

चार नवीन योजनाएं (राज्य)

1— एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम :—

हाथकरघा क्षेत्र के जीवंत धरोहर के महत्वपूर्ण कलस्टरों के समग्र विकास करने तथा इन्हें पर्यटन केन्द्रो के रूप में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय से विकसित करना ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, जिससे रोजगार की संभावना में वृद्धि हो इस उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु यह योजना प्रारंभ की गयी हैं । इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कलस्टरों में सड़कों/नालियों के निर्माण जल/विद्युत प्रदान की व्यवस्था बुनकरों के स्वच्छ कार्य वातावरण हेतु आवास सह कर्मशाला, सामान्य सुविधा केन्द्र डिजाइन कम ट्रेनिंग सेंटर, डाय हाउस, प्रोसेस हाउस की सुविधाओं का विकास करने शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा ।

2— उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग :—

हाथकरघा एवं हस्तशिलप उद्योगों सें संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुडी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई हैं ।

3— स्पेशल प्रोजेक्ट :—

हाथकरघा एवं हस्तशिलप के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेव्लमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएं क्रियान्वयन हेतु एवं हाथकरघा वस्त्रों एवं हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिए देश/प्रदेश के प्रमुख नगरों में अरबनहाट, हेण्डलूम हवेली आदि के निर्माण के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्ति के उदृेश्य की पूर्ति के लिये यह योजना प्रांरभ की गयी हैं ।

4— हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण की योजना :—

हाथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों को नियमित रोजगार प्रदान करने हेतु उनके उत्पादों की मांग बढ़ाने एवं वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रमोशन नितांत आवश्यक हैं । अभिलेखीकरण के द्वारा किये गए विकास कार्यो को लिपिबद्ध करने से भाव योजनाएं बनाने में मदद मिलती हैं ।

केन्द्र सरकार की योजनाए :–

दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना :–

1– इस योजना में कार्यशील पूंजी, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, धनवेष्ठन प्रोसेस हाउस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फर्निशिंग, सामान्य सुविधा केन्द्र, रंगाई घर के निर्माण, कम्प्यूटर ऐडेउ डिजाइन सेन्टर, नेशनल फेशन टेक्नॉलाजी इन्स्टीटयूट एवं बुनकर सेवा केन्द्र से सेवा लेने हेतु सहायता, हाथकरघा उत्पादों की बिक्री, बढ़ाने हेतु, प्रचार–प्रसार तथा प्राथमिक समितियों/शीष्र संस्थाओं को उनकी औसत बिक्री के आधार पर 8 प्रतिशत तक की सहायता दिये जाने का प्रावधान हैं । यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट पैकेज योजना बंद की जाकर वर्ष 2001 से प्रारंभ की गयी हैं । योजना में 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती हैं ।

2– निर्यात संवर्धन योजना :– हाथकरघा बुनकरों के निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पाद, विकास एवं विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत रूपये 64.00 लाख तक की आर्थिक सहायता राज्य के शीर्ष संघ एवं निगम को उपलब्ध करायी जाती हैं । योजना में केन्द्र का हिस्सा 50 से 75प्रतिशत तथा राज्य का हिस्सा 25–50 प्रतिशत तक का हैं ।

3– वेलफेयर योजना :– यह बुनकरों की कल्याणकारी योजना है जिमसें मितव्ययता निधि एवं समूह बीमा के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती हैं । मितव्यता निधि अनुदान अन्तर्गत बुनकर सदस्य द्वारा अपनी मजदूरी से 8 प्रतिशत राशि जमा करने पर 8 प्रतिशत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती हैं जिसमें 4 प्रतिशत राजय का हिस्सा होता हैं । महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजनान्तर्गत बुनकर अंशदान राशि रूपये 80/– भारत सरकार का अंश राशि रू. 150/– एवं जीवन बीमा निगम का अंशदान राशि रू. 100/– हैं । बीमित व्यक्ति के नामांकित को साधारण मृत्यु होने पर राशि रूपये 50,000/– रू. एवं दुर्घटना पर मृत्यु होने पर राशि रू. 80,000/– का भुगतान किया जाता हैं । बीमित व्यक्ति को दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर राशि रूपये 50,000/–, आंखे और अंगो की क्षति पर राशि रू. 50,000/– या एक आंख या एक अंग की क्षति पर राशि रू. 25,000/– के भुगतान का प्रावधान हैं ।

4— हेल्थ पैकेज :— इस योजनान्तर्गत गंभीर बीमारी जैसे टी.बी. अस्थमा, आहर नली से संबंधित बीमारी की चिकित्सा, प्रतिपूति, आंखों की जांच, चश्मा, प्रसूती तथा नसबंदी हेतु सहायता प्रदान की जाती हैं । गंभीर बीमारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 1500/—, आंखों की जांच के लिये रूपये 40/—, चश्में हेतु 150/—, बोरवेल हेतु 35,000/—, प्रसूति हेतु रू. 500/— नसबंदी प्रोत्साहन रू. 100/— की सहायता दी जाती हैं ।

5— कर्मशाला एवं आवास सह कर्मशाला :— इस योजनान्तर्गत बुनकर सहकारी समितियों को कर्मशाला एवं आवास सह कर्मशाला या जीर्णोद्वार हेतु अनुदान के रूप में सहायता दी जाती हैं । सहायता की पात्रता केवल समिति सदस्यो को प्राप्त हैं । इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में इकाई मूल्य रूपये 9,000/—, अधिकतम अनुदान रूपये, 7000/—, शहरी कर्मशाला इकाई मूल्य रूपये 14,000/— अधिकतम अनुदान रूपये 10,000/—, दिये जाने का प्रावधान हैं । ग्रामीण क्षेत्र में आवास सह कर्मशाला हेतु इकाई मूल्य रूपये 35,000/— अनुदान यपये 18,.000/— शहरी क्षेत्र में आवास सह कर्मशाला हेतु इकाई मूल्य 45,000/— अनुदान रूपये 20,000/— दिये जाने का प्रावधान हैं ।

औद्योगिक सहकारिता योजनांए :—

1— वित्तीय आधार सुदृढ़ीकरण

अ— अशपूंजी ऋण :— प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की अंशपूँजी को बढ़ाने हेतु सदस्य द्वारा प्रदत्त अंशपूजी के तीन गुने तक की सहायता शासन ऋण के रूप में उपलब्ध कराता हैं । इस प्रकार कार्यशील पूंजी में वृद्धि होने से समिति के पक्ष में सहकारी अधिकोष से साख सीमा की पक्षता में वृद्धि होती हैं ।

ब— मार्जिन मनी ऋण :— प्राथमिक समिति की सदस्य संख्या कम से कम 30 एवं प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 10,000/उपलब्ध होने पर शासन द्वारा कार्यशील पूंजी बढ़ाने हेतु रूपये 50,000/— तक ऋण के यप में सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं ।

समिति को मार्जिन मनी ऋण प्राप्त होने से साख तारण सीमा में वृद्धि होती हैं व समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ होती हैं ।

स– शासकीय धनवेष्ठन :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की अंशपूंजी में वृद्धि हेतु शासन समिति के अंश क्रय कर राशि वेष्ठित करता हैं यह राशि समिति के अंशपूंजी के 3 गुना तक सीमित हैं। समिति के सदस्यों को रूपये 10,000/– की अंशपूंजी एकत्र करना आवश्यक हैं ।

द– ब्याज अनुदान :– इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों को सहकारी अधिकोष से रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैं ।

इ– अंश क्रय अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को औद्योगिक सहकारी समिति का सदस्य बनने हेतु एक अंश क्रय करने हेतु रूपये 10/– जमा करने पर 90/– रू. अनुदान शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता हैं।

2– संरचना उत्पादन एवं प्रक्रिया सहायता :–

अ– अवरूद्ध पूंजी ऋण/अनुदान :– इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण, कर्मशाला निर्माण, उद्योग संचालन एवं आवश्यक उपकरण/ संयत्र क्रय करने हेतु शासन द्वारा समिति को प्रदत्त अंशपूंजी के 4 गुने तक सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं । इसकी अधिकतम सीमा राशि रू. 2.00 लाख हैं ।

3– प्रबंधन एवं पुर्नगठन सहायता :–

अ– प्रबंधकीय सहायता :– इस योजना के अनुसार प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के प्रतिदिन के कार्य संचालन, माल संग्रह, नगद रकमों, संपत्तियों का हिसाब एवं संस्था के समस्त अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने हेतु संस्था को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में क्रमशः 8000, 5000, 3000, 20000 की शासकीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं ।

ब– पुनर्गठन सहायता :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाए जो कि अर्थाभाव, अपर्याप्त, उत्पादन एवं व्यवसाय के अपिरहार्य कारणों से हानि में आकर निष्क्रिय हो जाती हैं ऐसी अकार्यशील संस्थाओं को पुनः कार्यशील करने हेतु शासन द्वारा रूपये 30,000/– की सहायता दी जाती हैं ।

4– विपणन सहायता :–

विक्रय केन्द्र :– प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्तरोत्तर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु सुसंगठित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा विक्रय भण्डार संचालन एवं व्यवस्थापन के लिए रूपये 50,000/– से रूपये 1,50,000/– तक की बिक्री पर क्रमशः 10,000, 60,000, 4,000 की सहायता अनुदान के रूप में उपलब कराई जाती हैं ।

5– प्रशिक्षण

प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की उत्तरोत्तर प्रगति में वैतनिक प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक एवं लेखापाल आदि की महत्वपूग्र भूमिका रहती हैं, अतः उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु सहकारी प्रशिक्षण के लिए रूपये 1000/– का अनुदान संस्था शासन द्वारा को उपलब्ध कराया जाता हैं ।

मेन्युअल :– विभागीय मेन्युअल पृथक से तैयार किया गया हैं ।

परिपत्र :– परिपत्रों का समावेश विभागीय मेन्युअल में किया गया हैं ।

बिन्दु क्र.6. कार्यालयों में संधारित विभिन्न दस्तावेजों की विवरणिका यू/एस.4.1(बी)(अप)

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का स्वरूप	दस्तावेज की अवधि
1.	वार्षिक योजना	हार्डकापी	विभागीय योजना	वार्षिक
2	विभिन्न योजना सबंधी	रजिस्टर एवं नस्तीयॉ	विभागीय योजनाएँ	दस वर्ष
3	वसूली	रजिस्टर	विभागीय योजना	दस वर्ष
4.	अनुबंध एवं करार विलेख	विलेख	विभागीय योजना	दस वर्ष

बिन्दु क्र.7. :— परामर्श दात्री समितियों का ढांचा जिसमे जनप्रतिनिधि शामिल हो ।

विभागीय परामर्श दात्री समिति शासन स्तर पर गठित है । जिला स्तर पर इस प्रकार की कोई समिति गठित नही है ।

बिन्दु क्र. 8. 1 – मण्डल,परिषद, समिति इत्यादि (सदस्यो के नाम उनकी शैक्षणिक योग्यता सहित) यू/एस 4.1 (बी) (अपपप)

कार्यालय से सबंधित नही हैं

बिन्दु क्र. 9 :– अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची (कोषालय के डाटा बैंक से सबंध
यू/एस 4.1 (बी) पग)

क्रमांक	नाम	पद	पता , फोन/मोबाईल नं.
1.	श्री बी.एल.बामनीयॉ	उप सचांलक हाथकरघा	बी–13 इंदीरा कॉलोनी बुरहानपुर
2.	श्री के.के. नागराज	वरिष्ठ निरिक्षक (तक.)	107–लक्ष्मी नगर बुरहानपुर
3.	श्री आर.के. गंगराडें	वरिष्ठ निरिक्षक (हाथकरघा)	107–लक्ष्मी नगर बुरहानपुर
4.	श्री विनायकसिंह मार्को	वरिष्ठ निरिक्षक (हाथकरघा)	101–लक्ष्मी नगर बुरहानपुर
5.	श्री डी.सी.सोलंकीं	निरिक्षक (हाथकरघा)	अवस्थी चौराहा खण्डवा
6.	श्री जी.डी.बोकडें	सहायक निरिक्षक (हाथकरघा)	बी–13 इंदीरा कॉलोनी बुरहानपुर
7.	श्री आर.के.मावले	लेखापाल	शिकारपुरा,बुरहानपुर
8.	श्रीमती मुमताज बेगम	सहायक ग्रेड 2	नया मोहल्ला बुरहानपुर
9.	श्री राजेश मोरे	सहायक ग्रेड 2	बी–13 न्यू इंदीरा कॉलोनी बुरहानपुर
10.	श्री राजेशसिंह ठाकुर	सहायक ग्रेड 3	बी–13 इंदीरा कॉलोनी बुरहानपुर
11.	श्री नटवरलाल तायडें	भृत्य	शिकारपुरा बुरहानपुर
12.	श्री रमेश पवार	चौकीदार	सिंधीपुरा बुरहानपुर

बिन्दु क्र. 10 :– मासिक भुगतान एवं अनुग्रह कोषालय के डाटा बैंक से सबंध यू/एस 4.1 (बी) (ग)

क्रमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	मासिक वेतन	कम्पनसेसन
1.	श्री बी.एल.बामनीया	21,168 /–	–
2.	श्री के.के. नागराज	10,812 /–	–
3.	श्री आर.के. गंगराडें	10,335 /–	–
4.	श्री विनायकसिंह मार्को	8,427 /–	–
5.	श्री डी.सी.सोलंकीं	8,586 /–	–
6.	श्री जी.डी.बोकडें	7,950 /–	–
7.	श्री आर.के.मावले	9,262 /–	–
8.	श्रीमती मुमताज बेगम	7,443 /–	–
9.	श्री राजेश मोरे	6,560 /–	–
10.	श्री राजेशसिंह ठाकुर	4,875 /–	–
11.	श्री नटवरलाल तायडें	5,118 /–	–
12.	श्री रमेश पवार	5,023 /–	–

बिन्दु क्रमांक 11 :– वार्षिक बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक कोषालय के डाटा बैंक से

संबंद्ध यू/एस 4.1 (बी) ;पगद्ध

क्रमांक	शीर्ष	योजना का नाम	वर्ष	कुल आवंटन	व्यय 12/05
	मांग संख्या –56–				
1	2851–103–8252	आरक्षण अधिनियम	2005–2006	2.63	1.72
	योग 2851			2.63	1.72
	मांग संख्या–80–				
1	2851–110–101–723	प्रबंधन पुर्नगठन	2005–2006	0.10	आई.डी.27 दिनांक 24/12/2005 से मुख्यालय भोपाल को समर्पित की गई ।
2	2851–110–101–734	वित्तिय आधार सुदृढीकरण	2005–2006	4.00	आई.डी.27 दिनांक 24/12/2005 से मुख्यालय भोपाल को समर्पित की गई ।
	योग–80–			4.10	
	स्टॉफ स्कीम आयोजनेत्तर				
1	2851–130–2542	पर्यवेक्षक कर्मचारी	2005–2006	10.98	8.36
	योग– आयोजनेत्तर			10.98	8.36

बिन्दु क्रमांक 12 :– कार्यक्रम एवं हितग्राही यू/एस 4.1 (बी) (गपप)

अ– योजना की सूची :– बिन्दु क्रमांक 5 में जानकारी दी गई है ।

ब– हितग्राहीयों को चयन करने हेतु मापदण्ड :– बिन्दु क्रमांक 5 में वर्णित योजनाओं में पात्रता की शर्तो अनुसार

स– विस्तृत जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	प्रशासकीय विभाग	आंवटित राशि	हितग्राहियों की सख्या
औद्योगिक		जिला हाथकरघा कार्यालय (ग्रामोद्योग विभाग)		
1.	प्रबंधन एवं पुर्नगठन		0.10	
2.	संरचना उत्पादन एवं प्रक्रिया		0.00	
3.	विपणन सहायता		0.00	
4.	प्रशिक्षण		0.00	
5.	वित्तीय आधार सुदृढ़ीकरण		4.00	
योग			4.10	
महायोग			4.10	

बिन्दु क्रमांक 13 :– प्राप्तकर्ता की सूची एवं दी गयी छूट का स्वरूप यू/एव

4.1 (बी) (गपपप)

कार्यालय व्दारा किसी भी व्यक्ति को छूट (कंसेशन) दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 14 :– कार्यालय में उपलब्ध सूचनाऍ

क्रमांक	केटेगरी (वर्ग)	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म स.
1.	पंचवर्षीय योजना	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म स.
2.	वार्षिक योजना	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म स.

3.	विभिन्न योजना संबंधी	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म स.

बिन्दु क्रमांक 15 :– उपलब्ध सुविधाएँ

कार्यालय में अन्य सुविधा उपलब्ध नही है ।

बिन्दु क्रमांक 16 :– लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनाम संबंध मे जानकारी

क्रमांक	पद	नाम	पदनाम	दूरभाष
1.	लोक सूचना अधिकारी	श्री बी.एल.बामनीया	उप संचालक (हाथकरघा)	252098
2.	सहायक सूचना अधिकारी	श्री के.के. नागराज	वरिष्ठ निरिक्षक (तकनिकी)	252098

कार्यस्थल एवं पता :–

जिला हाथकरघा कार्यालय बुरहानपुर
सिटी कोतवाली के सामने
जिला बुरहानपुर 450–331 (म.प्र.)

सम्पर्क समय :– प्रातः 10:30 से सायं 5:30 बजे तक

बिन्दु क्रमांक 17 :– अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो :–

बुनकरो एवं शिल्पीयों को बिन्दु क्रमांक 5 में वर्णित योजनाओं में पात्रता की शर्ता अनुसार लाभान्वित किया जाता हें । आम नागरिक के लिये कार्यालय में कोई योजना नही हैं ।